

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(3)मं.मं./2024-01493 पार्ट

जयपुर, दिनांक

**आदेश**

मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्संयोजन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण व समीक्षा हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री मदन दिलावर, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग              | -संयोजक |
| 2. श्री गजेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग     | -सदस्य  |
| 3. श्री अविनाश गहलोत, मा0 मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | -सदस्य  |
| 4. श्री सुमित गोदारा, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग    | -सदस्य  |
| 5. श्री जवाहर सिंह बेढम, मा0 राज्य मंत्री, गृह विभाग                | -सदस्य  |

उक्त समिति को निम्न अधिकारिता भी होगी:-

- ज़िला कलक्टरों व जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो पुनर्गठन/नवसृजन हेतु निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या या दूरी आदि की अर्हताओं को पूरा नहीं करते, परन्तु आमजन की सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुनर्गठन/नवसृजन किया जाना उचित प्रतीत हो, तो ऐसे प्रस्तावों के संबंध में शिथिलन प्रदान कर स्वीकृत कर सकेगी।
- जिलों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मानदण्डों की दृष्टि से पूर्ति करते हो किन्तु व्यापक जनहित व प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे प्रस्तावों का औचित्य व सार्थकता प्रतीत नहीं होने पर उन्हें अस्वीकृत कर सकेगी।

मंत्रिमण्डलीय उप समिति पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/नवसृजन संबंधी समीक्षित एवं अनुशंसित प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, पंचायती राज विभाग होगा तथा शासन सचिव, पंचायती राज विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ० जोगा राम)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- अति० मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
- विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
- संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
- शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सचिवालय, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।



**Signature valid**

Digitally signed by Joga Ram  
Designation: Secretary To  
Government

Date: 2025.01.10 12:58:07 IST  
Reason: Approved